न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/440

1. प्रदीप सिंह पुत्र स्व0 श्री इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी उदावास जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. निर्मल कंवर पत्नी श्री मनीष कुमार पुत्र दरिया सिंह उम्र 24 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम पोस्ट भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल निवासी विनायक विहार झोटवाडा, जयपुर।
2. जय कॅवर पत्नी ओमकार सिंह जाति राजपूत निवासी राउ टिब्बा तहसील राजगढ जिला चुरू राजस्थान।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं निर्णय दिनांक 12.03.2025 प्रकरण संख्या 105/2024 उनवानी निर्मल कंवर बनाम प्रदीप सिंह पर पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री वी0पी0 सिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री सम्पतराम शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 18.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 12.03.2025 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निर्मल कंवर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं के समक्ष एक अपील तहसीलदार झुन्झुनूं के आदेश दिनांक 01.06.2015 नामान्तरकरण संख्या 648 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० के प्रस्तुत की गई है। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निर्मल कंवर ने निवेदन किया कि ग्राम उदावास में इन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह नामक व्यक्ति पैदा हुआ। इन्द्रसिंह पुत्र रावत सिंह का देहान्त हो चुका है। इन्द्रसिंह की पत्नि सुप्यार कंवर का देहान्त हो चुका है। इन्द्रसिंह के एक पुत्र प्रदीप सिंह व दो पुत्रियां जयकंवर व जैनाकंवर पैदा हुए। जैना कंवर का देहान्त हो चुका है। जैना कंवर के एक पुत्री निर्मल कंवर पैदा हुई। उक्त इन्द्रसिंह की वंशावली निम्न प्रकार है:–

इन्द्रसिंह

सुप्यार कंवर (पत्नि)	प्रदीप सिंह (पुत्र)	जय कंवर (पुत्री)	जैना कंवर (पुत्री) (फौत)
			निर्मल कंवर (पुत्री) (अ०)

अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उपरोक्त विरासत नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में स्वीकृत कर कानूनी गलती की है जबकि इन्द्रसिंह की पुत्री जैना कंवर का नामान्तरकरण में नाम दर्ज नहीं किया गया। जैना कंवर का देहान्त मार्च 2014 में हुआ। उक्त जैना कंवर के वारिस अपीलान्ट वारिस पुत्री होने से है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक अपीलान्ट जैना कंवर की पुत्री होने से उत्तराधिकारी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अदालत मातहत ने राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 121 की पालना किये बिना उक्त नामान्तरकरण विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में स्वीकार करने में गलती की है। अदालत मातहत ने इन्द्रसिंह की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण सुप्यार कंवर व अपीलान्ट की माता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक मे बहिस्सा बराबर स्वीकृत करना चाहिए था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के मुताबिक खातेदार इन्द्रसिंह की खातेदारी की कृषि भूमि को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का हक अपीलान्ट को भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के साथ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अदालत मातहत से आदेश जैर बहस गलत रूप से पारित करवाया है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2015 बाबत नामान्तरकरण संख्या 648 ग्राम उदावास को अपास्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे की अदालत मातहत स्व० इन्द्रसिंह के वारिसान की जांच कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2025 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के नामान्तरकरण संख्या 648 दिनांक 01.06.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि अदालत मातहत इन्द्र सिंह के विधिक वारिसान की जांच करते हुये तथा पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 12.03.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रदीप सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2025 को निरस्त करते हुये नामान्तरकरण संख्या 648 ग्राम उदावास आदेश दिनांक 01.06.2015 को बहाल किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी के पिताजी स्व0 श्री इन्द्र सिंह पुत्र रावत सिंह के नाम कृषि भूमि खसरा खातेदारी में दिनांक 15.10.2003 के विभाजन से आई जिसका विधिवत तकासमा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण खुलवाया जाकर एकमात्र काबिज खातेदारी होने के पश्चात सम्पति में अपनी आय से काश्तकारी डवलपमेंट किया उक्त वैध बंटवारे के पश्चात सम्पति का अलग हिस्सा स्वअर्जित सम्पति बन गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन नहीं किया। अपीलार्थी के नाम दिनांक 20.01.2014 को पिता इन्द्र सिंह ने अपनी उक्त स्वअर्जित सम्पति की वसीयत कर दी थी जिस अनुसार अपीलार्थी को खसरा खातेदारी में सम्पति में पूर्ण अधिकार निहित हो गया था। विभाजन जमाबन्दी व वसीयत उक्त प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिसका गौर फरमाये बिना विरासतन उत्तराधिकारी पुत्री की पुत्री को बनाया जाना संवैधानिक अधिकारों के प्रतिकूल है जबकि सम्पति की स्थिति स्वअर्जित में तब्दील हो चुकी हो। विरासतन का अर्थ है सम्पति सहदायिकी रुप से पीढी दर पीढी चली आ रही हो। बटवारे के बाद इन्द्र सिंह की सम्पति अलग होकर उसका स्वत्वाधिकार निहित हो गया था। अपीलार्थी की माता सुप्यार कॅवर, व बहिन जय कॅवर ने अपने हक त्याग कर जिसका नामान्तरकरण संख्या 1156 दिनांक 06.03.2017 को अपीलार्थी के पक्ष में हो गया था। अपीलार्थी के पिताजी स्व० श्री इन्द्र सिंह पुत्र रावत सिंह की मृत्यु दिनांक 20.12.2014 को हो गयी थी व उनकी पत्नी अपीलार्थी की माता स्व० श्रीमती सुप्यार कंवर की मृत्यु, दिनांक 08.04.2017 को हो गयी थी।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी की बहिन जैना कंवर पत्नी विरेन्द्र सिंह की मृत्यु भी अपीलार्थी के पिता जी स्व० श्री इन्द्र सिंह पुत्र रावत सिंह से नौ माह पहले दिनांक 12.03.2014 को हो गयी थी। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भनाई हनुमानपुरा हनुमानगढ कार्यालय परिषद झुन्झुनूं द्वारा जारी किया गया। विरासतन उत्तराधिकार केवल जीवित सन्तान को ही प्राप्त होता है। मृतक के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता। अपीलार्थी का उक्त खसरा खातेदारी में नामान्तरकरण विधि सम्मत तरीके से विरासतन नामान्तरकरण संख्या 648 दिनांक 01.06.2015 को तस्दीक किया जाकर खोला गया जिस अनुसार कब्जा काश्त अपीलार्थी का प्रारम्भ से ही चला आ रहा है। प्रत्यार्थिया की माँ जैना कंवर पत्नी विरेन्द्र सिंह निवासी भनाई जिला हनुमानगढ़ की थी। जैना कंवर की मृत्यु अपने पिता इन्द्र सिंह से नौ माह पूर्व हो गयी थी इस समय खातेदारी जमीन इन्द्र सिंह के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। व जैना कवॅर के विवाह में अपने सामर्थ के अनुसार दान दहेज देकर अपीलार्थी द्वारा विवाह करा दिया गया व जैना कंवर व उसके पति विरेन्द्र सिंह की बिमारी में खर्च सेवा सुश्रुसा कर अन्तिम संस्कार खर्च भी अपीलार्थी द्वारा किया गया। जैना कंवर के पति वीरेन्द्र पुत्र शक्ति सिंह के नाम खातेदारी क्रम संख्या 16 हिस्सा 2611/24634 खसरा नम्बर 438/1 रकबा 1.7700, खसरा नम्बर 578 रकबा 6.9300, खसरा नम्बर 587 रकबा 0.3160, खसरा नम्बर 601 रकबा 15.6180 कुल किता 4 कुल रकबा 24.6340 हैक्टयर ग्राम भनाई जिला हनुमानगढ में दर्ज थी जो प्रत्यार्थिया निर्मल कँवर की पैतृक सम्पति है जो विरेन्द्र सिंह की मृत्यु के बाद प्रत्यार्थिया के नाम आई उसने उस समस्त जमीन को खुर्द बुर्द कर बेचान कर दिया। और अपनी मर्जी से शादी कर झोटवाडा जयपुर अपने पति के साथ निवास कर रही है। विरासत खातेदारी नाना की भूमि पर प्रत्यार्थिया का कोई हक एवं अधिकार नहीं है। क्योकि वह विवाहित है और अपनी मूल पैतृक सम्पति का बेचान कर चुकी है तथा जमीन हडपने की नियत से अपीलार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से अपना नामान्तरकरण खुलवाकर अन्य दिगर को बेचान करना चाहती हैं।

प्रत्यार्थिया मृतक इन्द्र सिंह अपीलार्थिया के पिता की नातिन है। और उसने पहले से ही अपने पिता विरेन्द्र सिंह की खातेदारी जमीन प्राप्त कर बेचान कर चुकी है। अब वह नाना की पैतृक सम्पति में दावा करने की अधिकारिणी कानूनन नहीं है। अपीलार्थी अपने पिता मृतक इन्द्र सिंह के साथ उक्त कृषि भूमि में काश्त में लगभग तीस साल से सहयोग करता रहा है अपीलार्थी ने अपने पिता मृतक इन्द्र सिंह के जीवन काल में जैना कँवर की मृत्यु के समय अपीलार्थी द्वारा की गई सेवा व उसके पश्चात अपीलार्थी के पिता की सेवा सुश्रुसा व सेवा भाव से खुश होकर अपीलार्थी के पिता इन्द्र सिंह ने दिनांक 20.01.2014 को वसीयत अपीलार्थी के हक में कर दी थी तथा उक्त वसीयत की जानकारी अपीलार्थी की माता सुप्यार कँवर बहिन जय कॅवर, व अपीलार्थिया की माता जैना कुँवर को थी अपीलार्थी के पिता के बीमार रहने के कारण समस्त कार्यभार अपीलार्थी के जिम्मे आ गया था। तब इन्द्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही खातेदारी समस्त अधिकार जमीन कब्जा अपीलार्थी को सौंप दिया था। तथा उसके पश्चात् अपीलार्थी की माता सुप्यार कवॅर व बहिन जय कॅवर ने हक त्याग दिनांक 11.01.2017 अपीलार्थी के हक में किया जो की रजिस्ट्रार झुंझुनूं पंजीकृत किया गया। तथा दिनांक 20.05.2017 को सरपंच श्रीमती सुशीला देवी व ग्राम पदेन सचिव श्री सुनील बराला द्वारा वारिसान रिपोर्ट जारी की गई उसके बाद नामान्तरकरण संख्या 1156 दिनांक 2017 को किया जाकर 06.03.2017 को जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अपीलार्थी के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार अपीलार्थी के नाम सम्पूर्ण खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। प्रत्यार्थिया द्वारा दिनांक 28.07.2024 को सरपंच श्रीमती सुमन देवी से विरासत नामा इन्द्र सिंह बनवाया गया। जो फर्जी एवं बनावटी है। श्रीमती सुप्यार की मृत्यु दिनांक 08.04.2017 व जैना कवॅर की मृत्यु दिनांक 12.03.2014 को हो गई थी कानूनन विरासतनामा जीवित वारिसों के नाम खोला जा सकता है। मृतक के नाम कोई सम्पति

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कानूनन हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है। मृतक जैना कॅवर के नाम विरासत प्रमाण पत्र फर्जी एवं बनावटी बनाकर पेश किया गया प्रत्यार्थिया मृतक वीरेन्द्र की विधिक वारिस है और ग्राम भनाई में राजस्व रिकार्ड में प्रत्यार्थिया की पैतृक सम्पति पिता के नाम से थी वह उक्त पैतृक सम्पति का बेचान कर चुकी है।

प्रत्यार्थिया ग्राम भनाई की मूल निवासी है और विवाह के पश्चात से जयपुर में निवास कर रही है। प्रत्यार्थिया द्वारा फर्जी व बनावटी व कपोलकल्पित आधार पर अपने दावे समक्ष उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं में पेश कर अपने नाना की जमीन मौखिक बटवारा व अपनी माता का कब्जाकाश्त होना बताया है। जबकि प्रत्यार्थिया माता की मृत्यु अपने पिता से पूर्व हो गयी थी। और मृत्यु से पहले काफी अन्तराल से वह अस्वस्थ थी और अपीलार्थी उसकी देखभाल कर रहा था। अपीलार्थी लगभग 30 वर्षों से काश्त कर रहा है एवं काबिज रिकार्डेड खातेदार है। अपीलार्थी काश्तकार है उसका व उसके परिवार का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि आय है। व विधिसम्मत नामान्तरकरण खुलने के बाद काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रत्यार्थिया ने बिना कब्जा काश्त व बिना विरासतन के मियाद बाहर दावा एवं अपील पेश कर अपीलार्थी की पैतृक सम्पति को हडपने की मंशा से विरासतन हक मांग कर अपना नामान्तरकरण खुलवाना चाहती है। जो कि विधि विरुद्ध एवं अवैध है प्रत्यार्थिया कानूनन प्रथम वारिस में नहीं आती है। नाना की सम्पति में मृत पुत्री की सन्तान को बिना कब्जा काश्त तथा फर्जी व बनावटी कथन माँ का कब्जा था और मौखिक बॅटवारा हो गया था प्रत्यार्थिया को वारिस उत्तराधिकारी मानना विधि सम्मत नहीं है। जबकि वह अपनी स्वयं की पैतृक सम्पति का बेचान कर चुकी हो। आदेश दिनांक 12.03.2025 माननीय श्रीमान जिला कलैक्टर झुन्झुनूं राजस्थान प्रकरण संख्या 105/2024 उनवान निर्मल कंवर बनाम प्रदीप सिंह को निरस्त फरमाया जावे। नामान्तकरण संख्या 648 दिनांक 01.06.2015 में वारिसान नामान्तरकरण तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1156 दिनांक 06.03.2017 दर्ज जमाबन्दी के अनुसार अपीलार्थी के हक सम्पूर्ण खातेदारी को विधिक दस्तावेज के अनुसरण में व विधि सम्मत होने से बहाल रखा जावे। सरपंच श्रीमती सुशीला देवी व ग्राम पदेन सचिव श्री सुनील बराला द्वारा वारिसान रिपोर्ट जारी की गई उसके बाद नामान्तरकरण संख्या 1156 दिनांक 06.03.2017 द्वारा अपीलर्थी के नाम सम्पूर्ण खातेदारी ग्राम उदावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कुलोंद कला जिला झुन्झुनूं, खाता संख्या 143 खसरा नम्बर 1062/176 रकबा 0.7700 व खसरा नम्बर 1.4400 कुल किता 2 कुल रकबा 2.2100 हैक्टयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई अपीलार्थी बतौर काबिज खातेदार काश्तकार है और मौके पर उसकी फसल खडी है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है अपील अनुतोष में वर्णित मद संख्या 1 लगायत 3 स्वीकार फरमाया जावे व अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 12.3.2025 माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर झुन्झुनूं राजस्थान प्रकरण संख्या 105/2024 उनवान निर्मल कंवर बनाम प्रदीप सिंह को उक्त वर्णित आधार पर निरस्त फरमाया जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौरानें बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं के समक्ष एक अपील तहसीलदार झुन्झुनूं के आदेश दिनांक 01.06.2015 नामान्तरकरण संख्या 648 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० के प्रस्तुत की गई है। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निर्मल कंवर ने निवेदन किया कि ग्राम उदावास में इन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह नामक व्यक्ति पैदा हुआ। इन्द्रसिंह पुत्र रावत सिंह का देहान्त हो चुका है। इन्द्रसिंह की पत्नि सुप्यार कंवर का देहान्त हो चुका है। इन्द्रसिंह के एक पुत्र प्रदीप सिंह व दो पुत्रियां जयकंवर व जैनाकंवर पैदा हुए। जैना कंवर का देहान्त हो चुका है। जैना कंवर के एक पुत्री निर्मल कंवर पैदा हुई। उक्त इन्द्रसिंह की वंशावली निम्न प्रकार है:-

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सुप्यार कंवर (पत्नि)	प्रदीप सिंह (पुत्र)	जय कंवर (पुत्री)	जैना कंवर (पुत्री) (फौत)
			निर्मल कंवर (पुत्री) (अ०)

अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उपरोक्त विरासत नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में स्वीकृत कर कानूनी गलती की है जबकि इन्द्रसिंह की पुत्री जैना कंवर का नामान्तरकरण में नाम दर्ज नहीं किया गया। जैना कंवर का देहान्त मार्च 2014 में हुआ। उक्त जैना कंवर के वारिस अपीलान्ट वारिस पुत्री होने से है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक अपीलान्ट जैना कंवर की पुत्री होने से उत्तराधिकारी है।

अदालत मातहत ने राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 121 की पालना किये बिना उक्त नामान्तरकरण विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में स्वीकार करने में गलती की है। अदालत मातहत ने इन्द्रसिंह की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण सुप्यार कंवर व अपीलान्ट की माता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक मे बहिस्सा बराबर स्वीकृत करना चाहिए था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के मुताबिक खातेदार इन्द्रसिंह की खातेदारी की कृषि भूमि को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का हक अपीलान्ट को भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के साथ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अदालत मातहत से आदेश जैर बहस गलत रूप से पारित करवाया है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2015 बाबत नामान्तरकरण संख्या 648 ग्राम उदावास को अपास्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे की अदालत मातहत स्व० इन्द्रसिंह के वारिसान की जांच कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2025 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के नामान्तरकरण संख्या 648 दिनांक 01.06.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि अदालत मातहत इन्द्र सिंह के विधिक वारिसान की जांच करते हुये तथा पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये है, जो विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किये गये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद इन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह की विरासत को लेकर है। मृतक इन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह के 1 पत्नी सुप्यार कंवर, 1 पुत्र प्रदीप सिंह, 2 पुत्री जय कंवर, जैना कंवर विधिक वारिस है। जैना कंवर का देहान्त दिनांक 12.03.2014 में हुआ है। इन्द्रसिंह का देहान्त दिनांक 05.12.2014 को हुआ है। तहसीलदार झुन्झुनूं ने आदेश दिनांक 01.06.2015 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 648 ग्राम उदावास, पटवार हल्का उदावास, भू.अ.निरीक्षक कुलोदकलां तहसील व जिला झुन्झुनूं इन्द्र सिंह की पत्नी सुप्यार कंवर, पुत्र प्रदीप सिंह, पुत्री जय कंवर के नाम स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निर्मल कंवर पुत्री जैना कंवर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं के समक्ष एक अपील तहसीलदार झुन्झुनूं के आदेश दिनांक 01.06.2015 नामान्तरकरण संख्या 648 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० के प्रस्तुत की गई है। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2015 बाबत नामान्तरकरण संख्या 648

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

ग्राम उदावास को अपास्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे की अदालत मातहत स्व० इन्द्रसिंह के वारिसान की जांच कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2025 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के नामान्तरकरण संख्या 648 दिनांक 01.06.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि अदालत मातहत इन्द्र सिंह के विधिक वारिसान की जांच करते हुये तथा पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये हैं।

हमारा विनम्र मत है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 इन्द्रसिंह की पुत्री जैना कंवर की पुत्री है। तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा इन्द्रसिंह के देहान्त होने पर जैना कंवर को वारिसान नहीं मानकर नामान्तरकरण संख्या 648 ग्राम उदावास दिनांक 01.06.2015 तस्दीक किया गया है। विवादित भूमि पैतृक भूमि है। तहसीलदार झुन्झुनूं ने इन्द्र सिंह के देहान्त होने पर जैना कंवर को छोडकर तथा उसका देहान्त होने पर उसके वारिसान को छोडते हुये मृतक इन्द्रसिंह की पत्नी सुप्यार कंवर, पुत्र प्रदीप सिंह, पुत्री जय कंवर के नाम नामान्तरकरण संख्या 648 ग्राम उदावास दिनांक 01.06.2015 तस्दीक किया गया है। जैना कंवर इन्द्रसिंह की पुत्री है यह तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से साबित होता है। हाल अपीलान्ट प्रदीप सिंह, इन्द्रसिंह द्वारा की गयी अनरजिस्टर्ड वसीयत होने के आधार पर मृतक इन्द्रसिंह की विरासत का नामांतरकरण अपने नाम करवाना चाहता हैं। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहॉ वसीयत विवादित हो तो वसीयत के विधि एवं तथ्य के जटिल प्रश्न नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं हो सकते क्योंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एकमात्र प्रक्रिया है। वसीयत के आधार पर हक चाहने वाले व्यक्ति को अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने होगें। तहसीलदार झुन्झुनूं ने नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व इन्द्रसिंह के सभी वारिसान की जांच नहीं गयी थी। जिसके आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने निर्णय दिनांक 12.03.2025 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के नामान्तरकरण संख्या 648 दिनांक 01.06.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि तहसीलदार झुन्झुनूं इन्द्र सिंह के विधिक वारिसान की जांच करते हुये तथा पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनूं के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
नयपुर